समुद्री क्षेत्र के लिए भारत की पहली एनबीएफसी

नौवहन उद्यमों को ऋण मिलना होगा आसान

ध्रुवाक्ष साहा
नई दिल्ली, 26 जून

नौवहन से जुड़े उद्यमों को आसानी से ऋण दिलाने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आज इस क्षेत्र के लिए देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पेश की। मंत्रालय ने सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की है।

मंत्रालय ने बताया कि पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से चल रही सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अब अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कंपनी को 19 जून को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी के तौर पर पंजीकृत किया गया था।

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, 'सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड महत्त्वपूर्ण वित्तीय अंतर को पाटेगी और क्षेत्र की आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगी। इससे बंदरगाहों, एमएसएमई, स्टार्टअप और संस्थानों को सशक्त बनाया जा सकेगा। इसने देश के समुद्री उद्योग की लंबे समय से चली आ रही एक मांग को पूरा किया है।'

मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सागरमाला डेवलपमेंट को एनबीएफसी में तब्दील कर यह कंपनी बनाई गई है। समुद्री विकास कोष और सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच सरकार समुद्री क्षेत्र को ऋण देने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम होगी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नौवहन से जुड़े उद्यमों को आसानी से ऋण दिलाने के लिए सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की है

कंपनी बंदरगाह प्राधिकरण, नौवहन कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, समुद्री शिक्षण संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों को लघु, मध्यम और दीर्घावधि के लिए ऋण सहित अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करेगी।

मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जहाज बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज पर्यटन और समुद्री शिक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का समर्थन करेगी, जिससे भारत को समुद्री क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज के तौर पर उभरने में और मदद मिलेगी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि की सुविधा, मांग को प्रोत्साहित करने और साझा बुनियादी ढांचे में निवेश करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा सक्रिय निवेश भूमिकाओं को अपनाने जैसे रणनीतिक कार्रवाई क्षेत्रों की पहचान करने के लिए देश भर के प्रमुख बंदरगाहों का एक पोर्ट रेडीनेस इंडेक्स भी जारी किया।

मंत्रालय ने बताया, 'वीओ चिदंबरनार बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, और मुंबई और कोच्चि का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे भारतीय बंदरगाह खासकर पूर्वी एशिया और यूरोपीय संघ की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए बेहतरीन स्थिति में हैं।'

इसके अलावा, प्रमुख बंदरगाहों पर शुल्क व्यवस्था के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी योजना बताने के बाद मंत्रालय ने पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए दरों के मानकीकृत स्केल टेम्पलेट (एसओआर) भी जारी किया।

मकानों की बिक्री 20 फीसदी घटी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून

बीते कुछ साल मकानों की रिकॉर्ड बिक्री के बाद इस साल मकान कम बिक रहे हैं। 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान भी मकानों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बावजूद मकानों के दाम बढ़े हैं। मगर पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में बिक्री में सुधार देखने को मिला है। इससे आगे मकानों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दूसरी तिमाही में मकानों की लॉन्चिंग और बिना बिके मकानों की संख्या भी घटी है।

संपत्ति सलाहकार फर्म एनारॉक रिसर्च के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 की दूसरी तिमाही में शीर्ष 7 शहरों में लगभग 96,285 मकान बिके, जो पिछले साल की इसी तिमाही में बिके 1,20,335 मकानों से करीब 20 फीसदी कम हैं।

एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, '2025 की दूसरी तिमाही भारतीय आवास बाजार के लिए उतार-चढ़ाव भरी रही, जिसमें देश और विदेश में प्रमुख सैन्य कार्रवाइयों ने भी अहम भूमिका निभाई। युद्ध जैसे माहौल ने मकान खरीदने वालों को प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति में ला दिया। जिससे दूसरी तिमाही में मकानों की बिक्री में कमी देखने को मिली।'

एनारॉक के अनुसार दूसरी तिमाही में सबसे अधिक 31,275 मकान मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में बिके। मगर वहां भी एk साल पहले के मुकाबले मकानों की बिक्री में 25 फीसदी गिरावट दर्ज की गई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिक्री 14 फीसदी घटकर 14,255, बेंगलूरु में 8 फीसदी घटकर 15,120, पुणे में 27 फीसदी घटकर 15,410, हैदराबाद में 27 फीसदी घटकर 11,040 और कोलकाता में 12 फीसदी घटकर 3,525 रह गई, जबकि चेन्नई में इस दौरान मकानों की बिक्री 11 फीसदी बढ़कर 5,660 हो गई।

साल 2025 की दूसरी तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले भले मकानों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली हो। मगर पहली तिमाही की तुलना में बिक्री सुधरी है। एनारॉक के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में 93,280 मकान बिके थे। इसकी तुलना में दूसरी तिमाही में मकानों की बिक्री 3 फीसदी बढ़कर 96,280 हो गई। दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर मकानों की बिक्री सुधरने की बड़ी वजह आवास क्षेत्र के दूसरे बड़े मार्केट एनसीआर में बिक्री में 14 फीसदी की बड़ी वृद्धि होना है। साथ ही एमएमआर में बिक्री में महज एक फीसदी गिरावट आना भी एक प्रमुख वजह मानी जा रही है।

JKCement

जे के सीमेन्ट लिमिटेड ('कम्पनी')

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 | फैक्स: +91 512 2399854 | ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

कंपनी के सदस्यों के लिए इकतीसवीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तकबंदी, लाभांश हेतु रिकॉर्ड-डेट व ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों सपठित सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 तथा 09/2024 क्रमशः दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 , 25 सितम्बर, 2023 तथा 19 सितम्बर, 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("MCA Circulars") तथा सर्कुलर सं0. SEBI/HO/CFD/CMD2 /CIR/P / 2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 तथा सर्कुलर सं0.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 सर्कुलर सं0 . SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023, तथा सर्कुलर सं0 SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (सूचीबद्ध विनियम) पर जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की इकतीसवीं वार्षिक आम बैठक (**"एजीएम"**) जो कि **शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11:00 बजे** वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टैंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट (संलग्नक सहित) प्रबन्धन की चर्चाएं तथा कार्पोरेट गवर्नेन्स की विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 26 जून, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं, जिनके नाम कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास दर्ज हैं। इस प्रकार सदस्य वीडियो कानफ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से ही सम्मलित हो सकते है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और NSDL की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित होने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 103 के तहत, कोरम की गणना हेतु की जाएगी।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल प्रार्थना भेज सकते है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहाँ नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकते है ("रिमोट ई-वोटिंग") कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजीटरी लिमिटेड (NSDL) की सेवाएं ली है। मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश जिसमें शामिल है डीमटैरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से (Remotely) मतदान करना और सदस्य जिन्होनें अपने ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के जरिये केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हैं। वे सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यह जानकारी एजीएम के नोटिस में वर्णित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधाः **मंगलवार, 15 जुलाई, 2025 को सुबह 9:00 बजे** से शुरू होगी और **गुरूवार, 17 जुलाई, 2025 को शाम 05:00 बजे** बंद हो जाएगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट-वोटिगं माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड ('NSDL') द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग कर सकेंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शक्रवार, 11 जुलाई, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे।

पुस्तक बंदी सूचना तथा लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:

ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सपठित कम्पनीज ('मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन') नियम 2014 तथा सेबी ('LODR') विनियम 2015 के लिस्टिंग विनिमय विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की Share Transfer Book के बंद रहने का समय बुधवार दिनांक 9 जुलाई, 2025 से शुक्रवार दिनांक 18 जुलाई, 2025 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) रहेगा।

बी. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मडंल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, दिनांक 08 जुलाई, 2025 को "रिकार्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

सी. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को जिनके नाम रिकार्ड तिथि को कंपनी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटडे और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि जो कि, 8 जुलाई, 2025 है को लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गए है उन्हें एजीएम के सम्पन्न होने से एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

डी. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कंपनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। सेबी सर्कुलर के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण कंपनी/RTA में अभिलिखित नहीं कराया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (MANDATE) दर्ज करने का तरीकाः

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करेंः

ए. यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपाजीटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फॉर्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो, फॉर्म संख्या ISR-1 के अनुसार, अधोलिखित दस्तावेज कपंनी के ईमेल- पते shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल करके या जमा करके, पंजीकृत/अपडेट करें- (1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कापी जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता नबंर, बैंक और शाखा का नाम और पता, आइएफएससी कोड, एमआईसीआर विवरण) हों (2) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (3) एक कैसिंल चेक।

यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से आर.बी.आई द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिविडेन्ड ट्रांसफर नहीं कर पाती है तो वह सेबी सर्कुलर के अनुसार सदस्यों को डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजेगी।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने के तरीकाः

ए. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होनें कंपनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे shambhu.singh@jkcement.com पर फोलियो नंबर ई-मेल पते के विवरण के साथ कंपनी /फार्म संख्या ISR-1 के अनुसार RTA को लिखकर पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमेट खाते रखते है, में पंजीकृत/ अपडेट करें। ईमेल आईडी अपडेट/पंजीकृत अथवा लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट दर्ज कराने की अधिक जानकारी के लिए सदस्य सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 (यथा संशेधित) दिनांकित 16 मार्च, 2023 देख सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई-वोटिंग करने के लिए NSDL वेबसाइट: https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से "एफएक्यू" सेक्शन/ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न/ शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करेंः

श्री शम्भू सिंह, उपाध्यक्ष तथा कंपनी सचिव, जे के सीमेंट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर- 208 001, उत्तर प्रदेश, फोन न.: +91 512 2371478-85, फैक्स: +91 512 2399854, ई मेल: shambhu.singh@jkcement.com, वेब: www.jkcement.com.

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिकं: https//:www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेगें। उपयोग किए जाने वाले लागिन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों को एजीएम की नोटिस के नोट न. 34 में समझाया गया है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

लाभांश पर करः

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार शेयरहोल्डरों की लाभांश आय कर योग्य होती है। कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान किये गये लाभांश पर लागू दर से कर (TDS) लिया जायेगा। सदस्यों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा पूर्व में भेजे गए महत्वपूर्ण संदेशों को देखें अथवा कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर विजिट करें।

स्थान: कानपुर
दिनांक: 26.06.2025

निदेशक मंडल के आदेश से
शम्भू सिंह
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं0 एफसीएस 5836

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

(Please scan this QR Code to view the Offer Document)

PUSHPA JEWELLERS

PUSHPA JEWELLERS LIMITED

(Formerly known as Pushpa Jewellers Private Limited)

Our Company was originally incorporated on June 03, 2009 at Kolkata, West Bengal as a Private Limited Company in the name and style of "Pushpa Jewellers Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U27310WB2009PTC135593 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on April 19, 2024 and consequently the name of our Company was changed from "Pushpa Jewellers Private Limited" to "Pushpa Jewellers Limited" and a fresh certificate of incorporation dated July 29, 2024 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U27310WB2009PLC135593. For details of change in the name of our Company and address of Registered Office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 238 of the Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India. **Contact Person:** Mrs Smita Mondal, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 033 4006 3093; **E-mail:** cs@pushpajewellers.in; **Website:** www.pushpajewellers.com; **Corporate. Identity Number:** U27310WB2009PLC135593

OUR PROMOTERS: MR. MRIDUL TIBREWAL, MR. MADHUR TIBREWAL AND MR. ANUPAM TIBREWAL

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THIS OFFER IS A BOOK BUILT OFFER AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. (For further details, please see "The Offer" beginning on page no. 69 of the Red Herring Prospectus). A copy of the Red Herring Prospectus will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For further details please refer to the Chapter titled "Offer Procedure" beginning on Page No. 398 of the Red Herring Prospectus

PRICE BAND: ₹ 143 TO ₹ 147 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH
THE FLOOR PRICE IS 14.3 TIMES OF FACE VALUE AND CAP PRICE IS 14.7 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR MARCH 31, 2025 AT
THE FLOOR PRICE IS 12.10 AND AT THE CAP PRICE IS 12.44 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

OFFER PERIOD
ANCHOR INVESTORS PORTION OPENS/ CLOSES ON: JUNE 27TH, 2025
BID/ISSUE OPENS ON: JUNE 30TH, 2025
BID OFFER CLOSES ON: JULY 02ND, 2025

CORRIGENDUM

We will update the below paragraph in the Prospectus under the chapter "Offer Procedure":

Flow of Events from the closure of Bidding period (T DAY) Till Allotment:

- On T Day, RTA To validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / FC and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.
- RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments.
- Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).
- The DSE, post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
- The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below.

Process for generating list of allotees: -

- On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts. System reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by DSE is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these application s will be allotted the shares in that category.
- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications. On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM.

ORIGINAL SIGNATORIES			CURRENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares
Madhur Tibrewal	**10.00**	**NIL**	**Madhur Tibrewal**	**10.00**	**NIL**
Anupam Tibrewal	10.00	7069599	Anupam Tibrewal	10.00	7069599
			Mridul Tibrewal	10.00	11782908

Listing: The equity shares offered through the Red herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE (**"NSE EMERGE"**). Our Company has received an "In-Principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares to letter dated January 27, 2025. For the purpose of the offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring prospectus has been submitted for registration to the ROC on June 21rd, 2025 in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 365 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Documents. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* beginning on page 368 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not any funds in the issue unless they can afford to take risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 41 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India **Telephone:** +91 33 4004 7188 **E - mail:** compliance@affinityglobal.in **Investor Grievance ID:** investor@affinityglobalcap.in **Website:** www.affinityglobalcap.in **Contact Person:** Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal **SEBI Registration Number: INM000012838**	**Cameo Corporate Services Limited** Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002 **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** priya@cameoindia.com **Investor Grievance e-mail:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Mrs. K. Sreepriya **SEBI Registration No.:** INR000003753	PUSHPA JEWELLERS **Mrs Smita Mondal** Company Secretary & Compliance Officer Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India. **Tel:** +91 033 4006 3093; **Email:** cs@pushpajewellers.in Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https:, the website of the BRLM to the Issue at: www. https://www.affinityglobalcap.in/ , the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents , respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India.and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter *"Issue Procedure"* beginning on page 398 of the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Pushpa Jewellers Limited
Sd/-
Anupam Tibrewal
Managing Director
DIN: 02269542

Date: June 27, 2025
Place: Kolkata, West Bengal

DISCLAIMER: PUSHPA JEWELLERS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Offer at www.affinityglobalcap.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company www.pushpajewellers.in Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the Section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 41 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (**"The Securities Act"**) or any state securities law in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transaction' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS